भारत सरकार

खान मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.382**

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

**खनन पट्टा ठेका**

382 श्री गणेश सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर नीलाम करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सच है कि नीलाम किए गए पट्टा खनन क्षेत्र के लिए ठेका देने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रयोजनार्थ बनाए गए पर्यावरणीय नियमों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है जिससे खनन पट्टा ठेके के निष्पादन में विलंब होता है और इस प्रकार राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है;

(घ) क्या उपरोक्त प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] में नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे प्रदान करने का प्रावधान है।

(ख): राज्य सरकार और नीलामी में सफल बोलीदाता के बीच निष्पादित खनन पट्टा एक अनुबंध है।

(ग): खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, प्रत्येक सफल बोलीदाता को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए, खनन पट्टे के निष्पादन हेतु नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी आशय पत्र के

जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है जिसे अगले 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) और (ङ): सरकार पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और प्रचालन में देरी को कम करने के लिए कई उपाय कर रही है। इन उपायों में प्रस्तुतियों और अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने वाले परिवेश पोर्टल और खान टेनेमेंट प्रणाली जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की शुरूआत; शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन; मंजूरी लेने संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है।

*****